

GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
LAND & BUILDING DEPARTMENT, VIKAS BHAWAN, NEW DELHI

No.F.7(19)/11/L&B/LA/MRTS/ 10254

Dated. 20/9/13

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by sub section (1) of section 17 of the Land Acquisition Act, 1894, the Lt. Governor, Delhi is pleased to direct the Land Acquisition Collector (South), Delhi to take possession of land the specification of which is given in this notification u/s 4 No.F.7(19)/11/L&B/LA/MRTS/ 7343 dated. 13.8.13 and u/s 6 No.F.7(19)/11/L&B/LA/MRTS/ 10254 dated. 20/9/13 on expiration of 15 days from publication of the notice under sub-section (1) of section 9 of the said Act.

BY ORDER AND IN THE NAME OF THE LT. GOVERNOR OF DELHI.



(Vinay Kumar)
Addl. Secretary (L&B)

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार
भूमि एवं भवन विभाग
विकास भवन, नई दिल्ली

सं.एफ.7(19)/11/भू.व.भ./भू.अ./एमआरटीएस/ 10255 दिनांक: 20/9/2013

अधिसूचना

भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 की धारा 17 की उपधारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये दिल्ली के उपराज्यपाल भूमि अधिग्रहण कलेक्टर (दक्षिण) दिल्ली को सहर्ष निर्देश देते हैं कि वे उक्त अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (1) के अधीन इस सूचना के प्रकाशन के 15 दिन की समाप्ति पर ऐसी भूमि पर कब्जा कर लें जिसका विशिष्ट विवरण आधिसूचना संख्या सं.एफ.7(19)/11/भू.व.भ./भू.अ./एमआरटीएस/7343 दिनांक 13.8.2013 धारा 4 एवं सं.एफ.7(19)/11/भू.व.भ./भू.अ./एमआरटीएस/10254 दिनांक 20/9/13 धारा 6 में दिया हुआ है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश तथा नाम पर



विनय कुमार

अतिरिक्त सचिव (भू.व.भ.)